

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

अमरसिंह बनाम चैतराम आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 925/2021

निर्णय दिनांक :- 2-12-2021

वादी की ओर से वकील श्रीमती वसन्त की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्रीमती मन्ना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेध मोजा वी 23 खालसा के खाता सं० 27/30 के खसरा सं० 117, 118, 119, 120, 141 कुल 17.7800 हे० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 चैतराम के नाम 1/6 हिस्सा व शेध रामपुरा के खाता सं० 30/32 के खसरा सं० 14 की 10.0/60 हे० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० चैतराम के नाम 1/6 हिस्सा राजख रियास में खातेदारों दण्ड है म से प्रतिवादी सं० अमल के लज्जर वादी अमरसिंह व प्रतिवादी सं० चैतराम प्रतिवादी सं० 2 बगवारी प्रतिवादी सं० 3 हरसिंह की बहिस्सा करावर के खातेदार का उत्तराधिकारी बहिस्सा किया जाते है यदि कृषि भूमि के रखे हो तो एवमुक्त दान के उपरान्त ही राजख रियास में अमल कराने किम्वे जाय राणागामा का डिक्री का नगद पठा जाय

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़ 2021
कैम्प कुशी